न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियॉं, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :– 106/22 तारीख दायर 28.4.22

1– कमलेश पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड, उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियॉं जिला भीलवाड़ा (राज0)
2– मनीष पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड, उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियॉं जिला भीलवाड़ा (राज0)
3– यमुनाशंकर पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड, उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियॉं जिला भीलवाड़ा (राज0)
4– शांति पत्नि कन्हैयालाल जाति धाकड, उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियॉं जिला भीलवाड़ा (राज0)

––प्रार्थीगण

बनाम

1– दीलिप कुमार पिता कन्हैयालाल जाति लसोड (जैन) उम्र वयस्क निवासी बिजौलियॉं तहसील बिजौलियॉं जिला भीलवाड़ा (राज0)
2– कमला पत्नि मोहनलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी छोटा नयागावं तहसील बिजौलियॉं जिला भीलवाड़ा (राज0)
3– शंकरी पत्नि नरेश जाति धाकड, उम्र वयस्क निवासी छोटा नयागावं तहसील बिजौलियॉं जिला भीलवाड़ा (राज0)

––विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11–128 रा0ले0रे0 एक्ट

:–आदेश:– दिनांक 28.4.2022

प्रार्थनापत्र **प्रार्थी श्री कमलेश, मनीष, यमुनाशंकर, शांति** ने जरिये अभिभाषक **श्री ओमप्रकाश शर्मा** प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि **मौजा ग्राम किशनपुरिया, पटवार क्षैत्र लक्ष्मीखेडा, भु–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र बिजौलियॉं कलां तहसील बिजौलियॉं में स्थित खाता संख्या 115 आराजी नंबर 384/65 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भुमि** स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत **2074–2077** के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया **मौजा ग्राम किशनपुरिया, पटवार क्षैत्र लक्ष्मीखेडा, भु–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र बिजौलियॉं कलां तहसील बिजौलियॉं में स्थित खाता संख्या 115 आराजी नंबर 384/65 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भुमि** की बाशामालात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियॉं को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियॉं